जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

विधि/मिस/ 812 दिनांक 11 /10/2019

प्रति,

1. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
2. संचालक, अनुसंधान सेवाएं/विस्तार सेवाएं/प्रक्षेत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/टीकमगढ़/जबलपुर/गंजबसौदा/रीवा/खुरई/रेहली/छिंदवाड़ा/बालाघाट/पवारखेड़ा।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
5. प्रभारी जैव प्रोद्यौगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
6. प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
7. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
8. समस्त सह–संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
9. विभागाध्यक्ष...कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
10. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआं, गढ़ाकोटा, सागर।
11. समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रिय कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
12. कार्यपालन यंत्री/सुरक्षा अधिकारी/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/प्रभारी फार्म, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
13. समस्त, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
14. सहायक कुलसचिव सामान्य, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
15. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
16. समस्त अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर। कम्प्यूटर शाखा
17. तकनीकी अधिकारी (आई.टी), वेब साइट प्रबंधन, जनेकृविवि, जबलपुर ।

कुलसचिव कार्यालय ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर आवक क्रमांक 3084 दिनांक 23/10/19

विषयः– विश्वविद्यालय के विरूद्व दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं के संबंध मे।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ माह से निरंतर देखा जा रहा है कि माननीय उच्च नयायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का परिपालन निर्धारित एवं निश्चित समयावधि में समुचित निराकरण नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय में सर्वोच्च पदों पर पदस्थ अधिकारीगणों के विरुद्ध निरन्तर अवमानना याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परिपालन निश्चित समय सीमा में किये जाने हेतु विधि प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित कार्यालय प्रमुखों को प्रशासनिक आदेश भी जारी किये जाते हैं लेकिन प्रशासनिक आदेशों की भी निरन्तर अव्हेलना विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही है।

अतः पटल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शाखा को अंकित किये गये पत्रों को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष नस्ती पर एक सप्ताह के भीतर निराकरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाना संभव हो सके । यदि निराकरण/परिपालन में विलम्ब होता है और अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च पदों पर पदस्थ अधिकारीगणों के विरूद्ध दायर होती है तो उसके लिए पटल प्रभारी एवं संबंधित कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकी जायेगी।

I/c Website
V-C 30.X.19

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

11/10/19

कुलसचिव